मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 02.04.2016

क्र. एफ 16-10/2015/बी-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा विधिक याचिका क्रमांक 10157/2015, मेसर्स एचईजी लिमिटेड, मण्डीदीप, जिला रायसेन विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/11/2015 के अनुपालन में इकाई द्वारा केप्टिव पॉवर प्लांट पर किये गये निवेशको विस्तार परियोजना का भाग न मानने के सम्बंध में स्पष्ट कारण बताते हुये आदेश पारित करने सम्बंधी प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत निम्नानुसार आदेश (speaking order) को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-

"कम्पनी द्वारा विस्तारित क्षमता अन्तर्गत रू. 454.24 करोड़ का पूंजी वेष्ठन करते हुए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का दिनांक 31/10/2006 को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया। कम्पनी द्वारा 30 मेगावाट क्षमता के केप्टिव पावर प्लांट में दिनांक 6/4/2005 से विद्युत का उत्पादन हो रहा है तथा 10 वर्ष की कालावधि के लिये विद्युत शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त किया गया है। कम्पनी द्वारा केप्टिव पावर संयंत्र से उत्पादित विद्युत का उपयोग पूर्व स्थापित क्षमता में किया गया है। उद्योग संवर्धन नीति, 2004 अन्तर्गत प्रवेश कर से छूट केवल औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध है। विद्युत उत्पादन विनिर्माण गतिविधि अन्तर्गत मान्य नहीं है। नीति अन्तर्गत केप्टिव पावर प्लांट में किया गया पूंजी निवेश, गणना हेतु परियोजना के पूंजी निवेश में सम्मिलित करने का प्रावधान नहीं है। शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति द्वारा पूर्व में स्वीकृत सुविधा इकाई विशेष हेतु है, जो कि इकाई के गुण दोषों पर आधारित है, इसको अन्य इकाइयों में समान रूप से लागू मान्य नहीं की जा सकती। वित्त विभाग द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2010 अन्तर्गत केप्टिव पावर संयंत्र को परियोजना का हिस्सा मान्य करने की सहमति दी गई है, परन्तु

कम्पनी का केप्टिव पावर में पूंजी निवेश एवं विद्युत उत्पादन उद्योग संवर्धन नीति, 2010 की प्रभावशील अवधि के पूर्व की है।

उपरोक्तानुसार केप्टिव पावर संयंत्र में उत्पादन दिनांक 6/4/2005 से प्रारम्भ हुआ है जो कि स्पष्टत: विस्तार परियोजना के उत्पादन के पूर्व का है, अत: इसे विस्तार परियोजना का अंग माने जाने का आधार नहीं होने के कारण तथा कम्पनी की केप्टिव पावर प्लांट का क्रियान्वयन शासन आदेश दिनांक 3/7/2009 में मान्य अवधि से पूर्व की होने के दृष्टिगत रखते हुये कम्पनी द्वारा विस्तार परियोजना अन्तर्गत केप्टिव पावर प्लांट पर किये गये निवेश को प्रवेश कर छूट हेतु विस्तार परियोजना का भाग मान्य करने सम्बंधी अभ्यावेदन को विचारोपरांत अमान्य किया जाता है।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 16-10/2015/बी-ग्यारह **भोपाल, दिनांक 02-04.2016**

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ वाणिज्यिक कर विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मेसर्स एचईजी लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, मण्डीदीप, जिला रायसेन।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग